आवश्यक सूचना

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

यह सूचित किया जाता है कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा निर्णय लिया गया है कि फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए विज्ञापन दिनांक 11.08.2017 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों मे से केवल 25.00 लाख तक के किसानों के समूह (सहकारी समितियां, पर्जीकृत किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, FPOs / PACS) से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। उपरोक्त बैंको के लिए अनुदान राशि निम्न प्रकार होगीः–

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुदान सहायता	अनुदान
1.	10.00 लाख रूपये लागत तक कस्टम हायरिंग सैंटर/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	4.00 लाख रूपये	40 %
2.	25.00 लाख रूपये लागत तक कस्टम हायरिंग सैंटर/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	10.00 लाख रूपये	40 %

फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु कस्टम हायरिंग सैंटर / फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए उपकरण – **ज़ीरो टील–कम–फर्टीलाइज़र ड्रील, हैप्पी सीडर, रोटरी प्लो, रिपर बाईन्डर, स्ट्रा बैलर, मल्चर, रिवर्सिबल प्लो, हे रैक, स्ट्रा चोपर, स्ट्रा श्रेडर/स्ट्रा स्लेशर तथा स्ट्रा रिपर** हैं। कस्टम हायरिंग सैंटर/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, **करनाल, कैथल, जींद, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद, सोनीपत, सिरसा, अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, हिसार, रोहतक, झज्जर, पलवल तथा भिवानी** जिलों मे की जानी है।

चयन प्रकिया निम्नप्रकार से होगी :–

1. दिनांक 11.08.2017 विज्ञापन के तहत उपरोक्त वर्णित किसान समूह से प्राप्त आवेदन पत्रों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र जिला स्तर की कार्यकारी समिति (DLEC) द्वारा अनुमोदित की जाएगी। किसान समूह नए आवेदन पत्र भी सम्बन्धित उप कृषि निदेशक / सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय मे जमा करवा सकते है। जिन पर '**पहले आओ – पहले पाओ**' के आधार पर विचार किया जाएगा।

2. प्रत्येक जिले मे प्रति ब्लॉक 10 किसान समूहों का चयन किया जाएगा जिसके प्रत्येक समूह में कम–से–कम 8 किसान होने चाहिए।

3. किसान संघ/समूह का अभिप्राय सहकारी समितियां, पंजीकृत किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, फार्मर प्रडूयसर आरगेनाइजेशन (FPOs), प्राइमरी एगरीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी (PACS) तथा ATMA स्कीम के अंतर्गत बनाए गये समूह मान्य होंगे।

4. उपरोक्त वर्णित किसान समूह डिटेल प्रोजेक्ट रिर्पोट (DPR) में कम से कम 3 विभिन्न प्रकार के स्ट्रा प्रबन्धन उपकरण शामिल होने चाहिए। स्ट्रा प्रबन्धन उपकरणों की संख्या परियोजना की कुल लागत की दर से कम या ज्यादा हो सकती है।

5. यदि कोई किसान समूह DPR मे ट्रैक्टर शामिल करना चाहता है तो केवल एक ही ट्रेक्टर (40 HP – 70HP) के लिए पात्र होगा।

6. किराये पर स्ट्रा प्रबन्धन उपकरणों को चलाने हेतु किराये की दरों सें संबधित निर्णय क्स्म्ब द्वारा ही जाएगा।

7. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.11.2017 को सायं 05.00 बजे तक है।

विज्ञापन दिनांक 11.08.2017 के सन्दर्भ मे यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा कस्टम हाईरिंग सेंटर – हाई टैक, हाई प्राडेक्टीव हब की स्थापना हेतु शुद्धि जारी किया गया था जिसमे उद्धमियों तथा मैनूफेक्चरर से ऑनलाईन प्रार्थना पत्र www.agriharyana.gov.in पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

–हस्ता–
निदेशक
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग
हरियाणा